

चेक लिस्ट क्र.सं. 02

प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड

(वृत्त कोड / वनमंडल कोड / शाखा कोड / वर्ष / पंजीयन
क्रमांक)

प्रमाण पत्र

प्रपत्र -1 में रजिस्ट्रेशन कोड

आवेदक संस्थान-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130A सेक्शन उरगा-पत्थलगाँव कि.मी 70.200 से 157.745 का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण हेतु कोरबा वनमण्डल अंतर्गत संरक्षित वन - 34.8211 हे., आरेंज वन 34.2841 हे. राजस्व वन 8.1990 हे. कुल 77.3042 हे. क्षेत्र का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंध एवं नोडल अधिकारी रायपुर के द्वारा पंजीयन क्रमांक **FP/CG/ROAD/122482/2021** आबंटित किया गया है।

आवेदक संस्थान ने पंजीयन शुल्क रुपये 6000.00 एवं प्रोसेसिंग शुल्क 58000.00 कुल 64000.00 डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 000873 & 000874 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा नोडल अधिकारी/वनमंडलाधिकारी, वनमंडल धरमजयगढ़ को दिनांक 29.08.2022 को जमा की गई है।


वनमण्डलाधिकारी,
कोरबा वनमण्डल, कोरबा


परियोजना निदेशक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई-कोरबा,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-899/2151

रायपुर, दिनांक 19/09/2022

प्रति,

वनंडलाधिकारी
कोरबा, धरमजयगढ़ एवं जशपुर वनमंडल
छत्तीसगढ़

- विषय: - कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल, रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल एवं जशपुर जिले के जशपुर वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु National Highways Authority of India द्वारा Development of Uрга Pathalgaon section of NH-130A (Raipur — Dhanbad Economic Corridor) in the state of Chattisgarh under Bharatmala Pariyojana हेतु क्षेत्रफल 173.1817 हे. पंजीयन बाबत।
- संदर्भ: - आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 16.09.2022 एवं अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 21/09/2022 तथा स्टेट सिरियल नं. C.G.-035/2022

-00-

विषयान्तर्गत National Highways Authority of India द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत Development of Uрга Pathalgaon section of NH-130A (Raipur — Dhanbad Economic Corridor) in the state of Chattisgarh under Bharatmala Pariyojana हेतु कोरबा व.म. - 73.0969 हे. धरमजयगढ़ व.म. - 99.7658 हे., एवं जशपुर व.म. - 0.319 कुल क्षेत्र 173.1817 हे. उक्त वन मंडलों अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 58,000 = 64,000/- के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति आनलाईन संलग्न की गई है। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है। धरमजयगढ़ वनमंडलाधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर उक्त प्रकरण हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/122482/2021 आबंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें। प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजते समय निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:-

1. एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक् से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार / तकनीकी अधिकारी से कराया जावे इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
3. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित

अ.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़